

EO (GO) No. 18/2025 dated 15.05.2025

मुख्य आयुक्त का कार्यालय
Office of the Chief Commissioner
सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर, विशाखापट्टणम क्षेत्र
Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone
प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखापट्टणम - 530035
1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam - 530035



(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942

email : ccu-cexvzg@nic.in

स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं.18/2025 (अधीक्षक)**Establishment Order (G.O) No. 18/2025 (SUPERINTENDENTS)****दिनांक 15 मई 2024 Dated 15th May 2025**

संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी, हैदराबाद द्वारा अधीक्षकों के संवर्ग में तदर्थ आधार पर पदोन्नति के संबंध में स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं 42/सी सी ए/2025 दिनांक 01.05.2025, के जारी होने और विशाखपट्टणम क्षेत्र में आवंटन होने पर, अधीक्षकों के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक आदेशित हैं: -

Consequent upon issue of EO (GO) No. 42/CCA/2025 dated 01.05.2025 by CCA, Hyderabad regarding promotion to the cadre of Superintendent of Central Tax of Hyderabad / Visakhapatnam Zones on ad-hoc basis and on allotment to Visakhapatnam Zone, the following postings and transfers in the cadre of Superintendent of Central Tax are hereby ordered with immediate effect and until further orders:-

क्र सं Sl No	अधिकारी का नाम (श्री) Name of the Officer (Shri)	वर्तमान तैनाती स्थान Present Place of Posting	तैनात किया गया आयुक्तालय Commissionerate Posted to
1.	अंकल्ला शिव कुमार Ankalla Siva Kumar	आवंटन पर On allotment	सी पी सी विजयवाडा CPC Vijayawada
2.	आर देवेन्द्र कुमार R. Devendra Kumar	आवंटन पर On allotment	वी एस ई जेड VSEZ

2. संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी, हैदराबाद द्वारा जारी स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं 42/सी सी ए/2025 दिनांक 01.05.2025 में अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। All other terms and conditions in EO (GO) No. 42/CCA/2025 dated 01.05.2025 by CCA, Hyderabad remain unaltered.

3. बोर्ड के पत्र एफ.सं. A/35017/39/2008-Ad.II दिनांक 27.03.2009 के तहत, आर देवेन्द्र कुमार, अधीक्षक को विकास आयुक्त, विशाखपट्टणम विशेष आर्थिक क्षेत्र के निपटान में, विकास आयुक्त के समक्ष उनकी रिपोर्टिंग की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए या एजीटी 2027 तक, जो भी पहले हो, रखा जाता है।

In terms of Board's letter F.No. A/35017/39/2008-Ad.II dated 27.03.2009, Sri.R.Devendra Kumar, Superintendent is placed at the disposal of the Development Commissioner, VSEZ, Visakhapatnam for a period of 2 years from the date of his reporting before the Development Commissioner, VSEZ or AGT 2027 whichever is earlier.

4. संबंधित दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाए। Necessary entries may be made in relevant records.

EO (GO) No. 18/2025 dated 15.05.2025

5. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। In case of any ambiguity English version will prevail.
6. यह मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखापट्टणम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Visakhapatnam Zone.

(काकराला प्रशांत कुमार / Kakarala Prasanth Kumar)
अपर आयुक्त / Additional Commissioner

[फाईल संख्या / Issued from file GCCO/II/(3)/126/2021-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM से जारी]

सेवा में / To

संबंधित अधिकारियों को । The officers concerned

प्रतिलिपि:

1. प्रधान आयुक्त हैदराबाद सीजीएसटी (सं.नि.प्रा) आयुक्तालय ।
2. आयुक्त सिमा शुल्क, सी पी सी विजयवाडा।
3. विकास आयुक्त, वीएसईजेड, दुव्वाडा ।
4. मुख्य लेखा अधिकारी / आ.व.सं अधिकारी, सी पी सी विजयवाडा।
5. वेतन एवं लेखा अधिकारी, गुंटूर ।
6. सूचना पटल / स्टॉक फाईल / वेब साईट ।

Copy to:

1. The Principal Commissioner of Central Tax, Hyderabad CGST Commissionerate (CCA).
2. The Commissioner of Customs, CPC Vijayawada.
3. The Development Commissioner, VSEZ, Duvvada
4. CAO/DDO – CPC Vijayawada.
5. PAO of Guntur.
6. Notice Board/website/Stock file.